

कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर

नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, वाणिज्यिक कार विभाग, जी.एस.टी. भवन, प्रथम तल, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

विज्ञापित

क्रमांक/आब./स्था.(अराज.)/2025/3178

रायपुर, दिनांक...19/05/2025

छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक एफ 6-41/2023/वा0क0(आब)/पाँच, नवा रायपुर दिनांक 17.09.2024 के संदर्भ में आबकारी विभाग के लिये स्वीकृत केमिस्ट के 01 रिक्त पद की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से दिनांक 19.06.2025 को सांय 05:00 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र भरने के पूर्व आवेदक स्वयं सुनिश्चित कर लें कि वे नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता तथा अन्य शर्तों के अनुसार पात्रता रखते हैं :-

क्र.	पद का नाम	निर्धारित शैक्षणिक अर्हता
1	केमिस्ट	एम.एस.सी. रसायन शास्त्र (एनालिटिकल एक विषय के रूप में) प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए।

केमिस्ट के 01 रिक्त पद की भर्ती हेतु

क्र.	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या				योग
			अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.वर्ग	अनारक्षित	
1	केमिस्ट	9300-34800 + ग्रेड पे 4300 (वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अनुसार लेबल-9)	निरंक	निरंक	निरंक	01	01
कुल योग :-							01

नियम व शर्तें :-

- (1) ये नियुक्तियाँ छत्तीसगढ़ आबकारी अधीनस्थ तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) सेवा भर्ती नियम के अंतर्गत की जायेंगी।
- (2) अभ्यर्थियों की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा की गणना केमिस्ट के रिक्त पद की भर्ती हेतु पूर्व में जारी किये गये विज्ञापन दिनांक अर्थात् 28.10.2024 को आधार मानते हुये की जायेगी। अर्थात् जो अभ्यर्थी 28.10.2024 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूर्ण किया हो तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए वो भी आवेदन भरने हेतु पात्र होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी है के लिए, उच्चतर आयु सीमा, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।
- (3) छत्तीसगढ़ शासन के स्थाई/अस्थायी/कार्यभारित या कन्टेन्जेन्सी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।
- (4) आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य है।
- (5) ऐसे कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जायेगी जो शासकीय/अर्द्धशासकीय संगठन में कार्य अनुभव रखते हों।
- (6) छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिला रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
- (7) आरक्षण नियमों, निर्देशों तथा आरक्षण रोस्टर के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश इस विज्ञापित पर भी लागू होंगे।
- (8) ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं, उन्हें अपना आवेदन पत्र नियोक्ता/विभाग प्रमुख के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत करना होगा।
- (9) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1961 के नियम-6 के अनुसार अपात्र उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं दी जायेगी।
- (10) चयन के किसी भी स्तर पर तथा चयन के पश्चात् भी आवेदक अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी एवं उम्मीदवार के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही भी की जा सकेगी।

चयन के किसी भी स्तर पर तथा चयन के पश्चात् भी आवेदक अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी एवं उम्मीदवार के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही भी की जा सकेगी।

- (11) अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण तथा अन्य प्रारूप में प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा, जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
- (12) भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
- (13) विज्ञप्ति/आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय आबकारी आयुक्त, छ.ग.रायपुर, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, वाणिज्यिक कर विभाग, जी.एस.टी. भवन, प्रथम तल, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) के नोटिस बोर्ड पर भी देखा जा सकता है। आवेदन पत्र का प्रारूप आबकारी विभाग की वेबसाइट WWW.excise.cg.nic.in से भी प्राप्त किया जा सकता है।
- (14) निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें।
- (15) लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम "केमिस्ट पद की भर्ती" अनिवार्य रूप से लिखें।
- (16) आवेदन पत्र पर नवीनतम पासपोर्ट साईज़ का एक रंगीन फोटो चस्पा करें एवं एक रंगीन फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
- (17) सीधी भर्ती किये गये कर्मचारी का कार्य संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में एक माह का अग्रिम नोटिस देकर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
- (18) चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (19) चयनित उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड का स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद में ही सेवा में लिया जावेगा।
- (20) समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जायेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उन्हें वरीयता प्रदान की जायेगी।
- (21) प्रतीक्षा सूची केमिस्ट पद पर नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष के लिये वैध होगी।
- (22) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं एवं शर्तों को पूरा करते हैं, अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी।
- (23) आवेदकों को (1.) अंकसूचियाँ/शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, (2.) जन्म तिथि हेतु मान्य प्रमाण पत्र (3.) छत्तीसगढ़ निवासी का प्रमाण पत्र (4.) रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र (5.) अनुभव प्रमाण पत्र (6.) नियोक्ता/विभाग प्रमुख का अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है।
- (24) आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से अथवा स्पीड पोस्ट से ही कार्यालय आबकारी आयुक्त, छ.ग. रायपुर, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, वाणिज्यिक कर विभाग, जी.एस.टी. भवन, प्रथम तल, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) में दिनांक 19.06.2025 को सायं 05:00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे, इसके पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को अमान्य किया जाकर उन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (25) आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखे हुये दो लिफाफे, प्रत्येक पर रु. 10 की डाक टिकट चस्पा करते हुए आवश्यक रूप से संलग्न करें।

संलग्न :- आवेदन पत्र का प्रारूप।

(आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित)


अपर आयुक्त आबकारी
छत्तीसगढ़

// आवेदन का प्रारूप //

आबकारी विभाग के अन्तर्गत केमिस्ट के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

आबकारी आयुक्त,
छत्तीसगढ़, रायपुर

स्वयं अथवा राजपत्रित
अधिकारी द्वारा
अभिप्रमाणित किया गया
नवीनतम पासपोर्ट साइज
फोटो

आवेदक के हस्ताक्षर

1. आवेदित पद का नाम

:-

2. आवेदक का नाम (हिन्दी में)

:-

अंग्रेजी के केपिटल अक्षर में

:-

3. पिता/पति का नाम (हिन्दी में)

:-

अंग्रेजी के केपिटल अक्षर में

:-

4. जन्मतिथि (अंको में)

:-

5. जन्मतिथि (अंको में)

:-

6. आयु विज्ञप्ति दिनांक की स्थिति में

:- वर्ष.....माह.....दिन.....

7. जाति/वर्ग ()(निशान लगाये)

:- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/अनारक्षित

8. पत्र व्यवहार का पता

:-

9. स्थायी निवासी का पता

:-

10. दूरभाष/मोबाईल नं. :-

11. छ.ग. राज्य के निवासी होने का प्रमाण पत्र :-

12. ई-मेल का पता :-

13. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र.	परीक्षा का नाम	विद्यालय/बोर्ड/संस्थान का नाम	वर्ष	प्राप्तांक/पुर्णांक	प्रतिशत

14. जिला रोजगार कार्यालय का नाम, पंजीयन क्रमांक
एवं दिनांक तथा पंजीयन वैधता का दिनांक

15. क्या आप विवाहित हैं, यदि हाँ तो विवाह की तिथि :-

16. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवा अवधि का विवरण:- वर्ष.....माह.....दिन.....

17. छत्तीसगढ़ शासन/निगम, मंडल के अधीन स्थायी/अस्थायी/कार्यभारित/कन्टेन्जेन्सी

में कार्य करने का विवरण :-

18. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन पत्र में वर्णित सभी जानकारी मेरे सर्वोत्तम विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही है। कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने की स्थिति में मेरा चयन निरस्त करने एवं मेरे विरुद्ध की जाने वाली वैधानिक कार्यवाही मुझे मान्य होगी।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

नाम :-

पता :-

.....

.....

2